"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2012—भाद्र 26, शक 1934

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/खाद्य/2012/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 10 की उपधारा (1) सहपठित छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अंशकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	संबद्ध अंशकालिक जिला उपभोक्ता फोरम का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बस्तर	1. जिला उपभोक्ता फोरम, कोण्डागांव 2. जिला उपभोक्ता फोरम, सुकमा 3. जिला उपभोक्ता फोरम, नारायणपुर 4. जिला उपभोक्ता फोरम, बीजापुर

(1)	(2)	(3)
2.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायपुर	1. जिला उपभोक्ता फोरम, बलौदाबाजार 2. जिला उपभोक्ता फोरम, गरियाबंद
3.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग	1. जिला उपभोक्ता फोरम, बालोद 2. जिला उपभोक्ता फोरम, बेमेतरा
4.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर	1. जिला उपभोक्ता फोरम, मुंगेली
5.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा	1. जिला उपभोक्ता फोरम, सूरजपुर 2. जिला उपभोक्ता फोरम, बलरामपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-3/खाद्य/2012/29/.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 17th September 2012

NOTIFICATION

No. F 5-3/food/2012/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), read with rule 4 of the Chhattisgarh Consumer Protection Rules, 1987, the State Government, hereby, appoints the President of full time District Consumer Disputes Redressal Forum specified in column (2) of the table below, as the President of part time Consumer Disputes Redressal Forum as specified in coloumn (3) of the said table, in addition to their present charge from the date they assume charge of their office, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Full time District Consumer Forum (2)	Name of Part time District Consumer Forum (3)
1.	President, District Consumer Forum, Bastar	1. District Consumer Forum, Kondagaon 2. District Consumer Forum, Sukma 3. District Consumer Forum, Narayanpur 4. District Consumer Forum, Bijapur

(1)	(2)	(3)
2.	President, District Consumer Forum, Raipur	1. District Consumer Forum, Balodabazar 2. District Consumer Forum, Gariyaband
3.	President District Consumer Forum, Durg	1. District Consumer Forum, Balod 2. District Consumer Forum, Bemetara
4.	President District Consumer Forum, Bilaspur	1. District Consumer Forum, Mungeli
5.	President District Consumer Forum, Sarguja	1. District Consumer Forum, Surajpur 2. District Consumer Forum, Balrampur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/खाद्य/2012/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित जिलों के लिये "जिला फोरम" के रूप में ज्ञात 9 नवीन उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम का गठन करती है, अर्थात् :—

1. जिला उपभोक्ता फोरम, कोण्डागांव
2. जिला उपभोक्ता फोरम, सुकमा
3. जिला उपभोक्ता फोरम, बलौदाबाजार
4. जिला उपभोक्ता फोरम, गरियाबंद
5. जिला उपभोक्ता फोरम, बालोद
6. जिला उपभोक्ता फोरम, बेमेतरा
7. जिला उपभोक्ता फोरम, मुंगेली
8. जिला उपभोक्ता फोरम, सूरजपुर
9. जिला उपभोक्ता फोरम, बलरामपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-3/खाद्य/2012/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 17th September 2012

NOTIFICATION

No. F 5-3/food/2012/29.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the State Government, hereby, constitutes 9 new Consumer Disputes Redressal Forum for the following districts to be known as the "District Forum", namely :—

1. District Consumer Forum, Kondagaon
2. District Consumer Forum, Sukma
3. District Consumer Forum, Balodabazar
4. District Consumer Forum, Gariyaband
5. District Consumer Forum, Balod
6. District Consumer Forum, Bemetara
7. District Consumer Forum, Mungeli
8. District Consumer Forum, Surajpur
9. District Consumer Forum, Balrampur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.